न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या–32/2021

1. भंवरलाल पुत्र खंगाराम सानेल जाति मेघवाल निवासी सिगड़ी ग्राम पंचायत सिगड़ा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

–निगरानीकार

–बनाम–

1. विकास अधिकारी,पंचायत समिति मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।
2. असगर खां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी सिगड़ी तहसील मण्डावा,जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि01994 बखिलाफ विनश्चय
या आदेश दिनांक 01.9.2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा।

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार गिल , एडवोकेट ---- ------निगरानीकार की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी एडवोकेट--------गैर निगरानीकार नं01 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार मीणा,एडवोकेट -------गैर निगरानीकार नंबर–2 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 29.8.2022

उक्त निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक1.9.2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि– निगरानीकार ने ग्राम सीगडी में अपने पट्टाशुदा भूमि में रिहायस बना रखी है उक्त भूमि आबादी भूमि है। निगरानीकार की एक बिना आधार के शिकायत असगर खां पुत्र हासम खां द्वारा श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को की गई जिसमें आक्षेप लगाया गया कि उसका रास्ता अवरूद्ध कर दिया। उक्त बिना क्षेत्राधिकार की शिकायत के विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा ने निगरानीकार नंबर 1 को नोटिस जारी कर दिया। गैर निगरानीकार नंबर 1 को अतिक्रमण बाबत नोटिस देनें का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त नोटिस देने से पहले ना तो कोई जांच करवाई तथा ना ही किसी पंचायत की स्थाई समिति या उप समिति का कोई संकल्प पारित किया गया जिसके बिना विकास अधिकारी नोटिस जारी नहीं कर सकता। निगरानीकार के विधिक क्षेत्राधिकार के बार जाकर कार्यवाही कर रहा है। निगरानीकार अपने पट्टाशुदा आवासीय भूमि में आबाद है गैर निगरानीकार नंबर 2 जहां आबाद है उसके घर के आगे सीमेन्टेड सड़क [illegible] हुई है, इसलिए गैर निगरानीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:10:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

नंबर 2 ने गलत आक्षेप लगाया है कि उसके घर जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। गैर निगरानीकार नंबर 2 को रास्ते बाबत कोई समस्या है तो उसको ग्राम पंचायत के पास जाना चाहिए था या सिविल न्यायालय में जाना चाहिये था। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने बिना क्षेत्राधिकार के नयम विरूद्ध व बिना किसी संकल्प या बिना किसी स्थाई समिति या उप समिति के संकल्प ोटिस जारी किया जो काबिले निरस्त है। अतः निगरानी पेशकर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर निगरानीकार के विरूद्ध जारी विनश्चय/आदेश दिनांक 01.9.2021 को निरास्त किये जाने का आदेश फरमावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में सीधे तौर पर विकास अधिकारी को नोटिस देकर कार्यवाही करने या सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानीकार को जारी नोटिस विधिविरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकार को जारी नोटिस को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

गैर निगरानीकार नंबर 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि– वर्ष 1983 में ग्राम पंचायत सीगड़ा के सरपंच जयकरण सिंह ने ग्राम सीगड़ी में आवासीय कालोनी के लिए लोगों को बसने के लिए जगह नहीं थी एवं राजय सरकार द्वारा घोषित इन्दिरा गांधी हरिजन बस्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कीम निकालकर बजट पारित किया गया था और ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास हरिजन बस्तियों का मकान बनाकर निर्माण कर निःशुल्क आवंटित किये गये थे। तत्कालीन सरपंच जयकरण सिंह द्वारा जिला कलक्टर के आदेश से ग्राम पंचायत सीगड़ा के लिए भूमि आवंटित कराई थी। उसी आवंटन से साईट प्लान बनाकर कोलोनी के रूप में निर्माण कर लोगों को अलग–अलग आवंटन किया गया था। जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि में से बची हुई भूमि में जिनको आवासीय मकान की आवश्यकता थी और जो जरूरतमंद थे उसमें सामान्य लोगों को भी आवंटन किया गया था। उसी भूमि में असगर खान को प्लाट नंबर 9 व 10 आवंटित किये गये थे। प्लाट नंबर 9 का रास्ता ए से बी है व प्लाट नंबर 10 का रास्ता सी से डी है। वस्तुस्थिति का नजरी नक्श लिखित बहस के साथ पेश किया गया तथा कथन किया कि नजरी नक्शा में हिदायत खां द्वारा अतिक्रमण कर बाधा डाल रखी है जो ई से एफ है जो नजरी नक्शे में लाल लाईन से दर्शाया गया है। नजरी नक्शे में सभी प्लाट मालिकों के नाम दर्शाये गये है। नजरी नक्शे में क्यू स्थान पर भगवानाराम पुत्र खंगाराम का आवासीय रिहायशी प्लाट दर्शाया गया है जो इन्दिरा आवासीय कोलोनी से अलग है। जिस रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है उक्त रास्ता प्लाट नंबर 9, 7, 5, व प्लाट नंबर 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad
Gour
Date: 2022.08.31 17:10:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

तक 20 फुट का रास्ता आवागमन के लिए खुला है व प्लाट क्यू.पी.जो.एल का भी रास्ता इसी रास्ते पर खुलता है आवागम के लिए खुला है लेकिन बृजलाल पुत्र खंगाराम नजरी नक्शे में जो के से दर्शाया गया है उस पर भंवरलाल जो सिगड़ी का निवासी नहीं है, फर्जी तरीके सं खंगाराम को पुत्र बना हुआ है उसने अतिकमण कर रखा है। जबकि उसको उसके नाम से कोई प्लाट आवंटित नहीं है। बृजलाल की मृत्यु हो चुकी है,उसके वारिसान झुंझुनू में आबाद है। भंवर लाल अतिकमी है। कानून उसको किसी प्रकार की कानूनी रिलिफ नहीं दी जा सकती। अतिकमी को कभी भी बेदखल किया जा सकता है। सांडशाला व समाज कल्याण भंवर जो जे.से आई दर्शाये गये हैं उनकी साईट प्लान में भी उक्त रास्ता दर्शाया गया है। इसके अलावा अतिकमी हिदायत खां ने राज्य सरकार से आवंटित पानी की टंकी सार्वजनिक जमीन पर अतिकमण कर रखा है। जो नजरी नक्शे में आर से दर्शाया गया है जो लाल लाईन से अंकित है। इसके अलावा एस स्थान पर भी सांडशाला के पास अतिकमण कर रखा है। ए से बी रास्ते पर विधायक कोटे से सीमेन्टेड रोड के लिए राज्य सरकार से प्राप्त बजट से ठेकेदार द्वारा पत्थर, डबोरे डालकर निर्माण कार्य चालू करना चाहा तो हिदायत खां एण्ड पार्टी ने निर्माण कार्य नहीं करने दिया। उससे व्यथित होकर असगर खां द्वारा ग्राम पंचायत को रिपोर्ट की लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच असगर खान से राजनैतिक द्वेषता के कारण सरपंच ने यह कह दिया कि हमारे पास रिकार्ड नहीं है। हम कार्यवाही नहीं कर सकते। फिर असगर खा द्वारा पुलिस थाना मण्डावा में रिपोर्ट की तो थानाधिकारी ने मौका देखकर रास्ता खुलवाने की चेष्ठा की, लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण उन्होंने यह कहकर इन्कार कर दिया कि पंचायत का मामला है वो करेगी। इस संबंध में थानाधिकारी ने जांच भी की थी और जयकरण सिंह सरपंच व अन्य लोगों के कथन भी लेखबद्ध किये गये थे। इसके बाद तहसील में रिपोर्ट की, हल्का पटवारी व गिरदावर ने भी अतिकमण माना। फिर पंचायत समिति झुंझुनू के विकास अधिकारी ने जांच की और मामला सही पाया गया और उनके द्वारा बेदखली की कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व ही झूठे आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है।निगरानीकार अतिकमी है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त अतिकमी के पास कोई फर्जी पट्टा है जिसको हाजा न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, आदि। अंत में लिखित बहस प्रस्तुत कर अतिकमी हिदायत खां व स्व बृजलाल के पुत्रान जिस पर भंवरलाल अतिकमी है उसको बेदखल करने का आदेश पारित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ते की भूमि ग्राम पंचायत सीगड़ा की आबादी भूमि होना दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। गैर निगरानीकार का कथन है कि उसके आने–जाने के रास्ते को निगरानीकार ने अवैध रूप से अतिकमण करके रोक दिया है और जिसकी शिकायत उसके द्वारा ग्राम पंचायत सीगड़ा, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू तहसीलदार, थानाधिकारी मण्डावा, विकास अधिकारी आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:10:41 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

को की गई, लेकिन अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत समिति मण्डावा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर गैर निगरानीकार ने कई जगह शिकायत की है। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू द्वारा भी विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को प्रकरण की जांच करवाकर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत मण्डावा द्वारा जांच समित का गठन किया जाकर प्रकरण की जांच करवायी गई है। जांच समिति ने बाद जांच निगरानीकार सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करना बताया है जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये हैं। गैर निगरानीकार का कथन है कि राजनैतिक कारणों से ग्राम पंचायत कार्यवाही नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में अवैध अतिक्रमण की जांच करना और अतिक्रमियों को नोटिस जारी करना विधिसम्मत प्रतीत होता है। निगरानीकार को चाहिए था कि पहले वे विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डावा के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करते उसके उपरांत विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा के बाद सुनवाई अंतिम आदेश से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में हाजा न्यायालय में निगरानी करना उचित प्रतीत होता। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। निगरानीकार चाहे नोटिस के संबंध में अपना जवाब विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को प्रस्तुत करे। विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को निर्देशित किया जाता कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना जाकर अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत सीगड़ा को भिजवाया जावे। आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:10:41 IST
Reason: SelfAttested